



CASE No. - 11/2024.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फा. सं.: NCST/DEV-140/CG/9/2021-RO-RPR

श्रीमति ऋचा शर्मा,  
अपर मुख्य सचिव, वन,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
महानदी भवन, नया रायपुर,  
अटल नगर,  
छत्तीसगढ़-492002  
ई-मेल: secyfcg@yahoo.com

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 07.06.2024 को अप्राह्न 03:30 बजे, आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-


संदर्भ 1. श्री रामलाल कुमेटी, ग्राम - शारदा, पोस्ट - सरखेड़ा, श्री दारसुराम, ग्राम - मुंदेली, पोस्ट - सरखेड़ा, श्री चैनसाय, ग्राम - कोड़, पोस्ट - कंदाडी, श्री कंगलूराम, ग्राम - चांवरगाँव, पोस्ट - कनेली, श्री रामजी, ग्राम एवं पोस्ट - कनेली, श्री रमेश कुमार, ग्राम - खेड़ेगाँव, पोस्ट - तेरेगाँव, श्री सनकुराम, ग्राम - कोराचा औधी (खेड़ेगाँव), पोस्ट - तेरेगाँव, एवं अन्य अभ्यावेदकगण, तहसील - मानपुर, जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदनों, "रूढ़ी प्रथा ग्रामों में गौणलघु वनोपज तेंदुपत्ता संग्रहण एवं खरीदी - बिक्री करने बाबत।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 03.12.2021.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 29, मई, 2024 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

  
न्यायालय अधिकारी

Court Officer  
National Commission for Scheduled Tribes  
Government of India  
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

